न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–40/2015–16

मो0 जमील इब्राहीमी बनाम मो0 वकील मल्लिक वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

31/3/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 39/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा पारित दिनांक 30.07.15 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
फुलवारीशरीफ	फुलवारी	35	102 103 708	471 473 474	6 $\frac{1}{4}$ डी0 (2725 वर्गफीट)

इस वाद के आवेदक श्री मो0 जमील इब्राहिमी, पिता स्व0 मल्लिक मोहम्मद, मोहल्ला–हारून नगर, सेक्टर–2, थाना–फुलवारीशरीफ जिला–पटना के द्वारा निम्न लोगों को पक्षकार बनाया गया है।

1. मो0 वकील मल्लिक, पिता स्व0 मल्लिक मोहम्मद, मोहल्ला–शांतिकुंज, हारून नगर कॉलोनी, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना।

2. जीनत जहाँ, पिता स्व0 मल्लिक मोहम्मद, मोहल्ला–हारून नगर, सेक्टर–2, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना।

आवेदक का कथन है कि

(1) विवादित भूखण्ड की खरीद उनकी माता नसीमा खातुन के द्वारा दिनांक 02.04.1981 के निबंधित विक्रय–पत्र से की गयी थी।

(2) नसीमा खातुन ने आवेदक की सेवा से प्रसन्न होकर विवादित भूखण्ड का मौखिक हिब्बा आवेदक को लिख दिया था।

(3) आवेदक एवं इस वाद की विपक्षी सं0 2 ने संयुक्त रूप से अपने नाम से विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज करने हेतु अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को आवेदन दिया गया।

(4) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1287}{4}$ वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत, उभय पक्ष की सुनवाई एवं जाँचोपरान्त विवादित भूखण्ड पर आवेदक एवं इस वाद की विपक्षी सं0 2 के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(5) इस वाद के विपक्षी सं0 1 श्री मो0 वकील मल्लिक के द्वारा दाखिल खारिज में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना

सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं० 39/2014-15 दायर किया गया।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों एवं प्रमाणों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से अपील स्वीकृत कर ली गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा अपील सं० 39/2014–15 में दिनांक 30.07.2015 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

विपक्षी सं० 2 जीनत जहाँ के द्वारा आवेदक का समर्थन करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 39/2014–15 में पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं० 1 मो० वकील मल्लिक का कहना है कि :

(1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 39/2014–15 में पारित आदेश उचित एवं पूर्णतः विधि सम्मत है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड उभय पक्ष की माता के द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति है, जिसकी जमाबंदी उनकी माता नसीमा खातुन के नाम से कायम थी।

(3) उभय पक्ष की माता नसीमा खातुन की मृत्यु दिनांक 27.03.2012 को हो गयी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पत्ति पर उनके पाँच पुत्र एवं दो पुत्रियों का मुस्लिम विधि के अनुरूप हिस्सा हुआ।

(4) इस वाद के आवेदक एवं विपक्षी सं० 2 के बीच एक स्वत्व वाद सं० 685/2012 लाया गया, जिसमें वाद में संधि के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली गयी। उक्त स्वत्व वाद में इस वाद के विपक्षी सं० 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया, अतः उक्त स्वत्व वाद का निर्णय विपक्षी सं० 1 पर बाध्यकारी नहीं है।

(5) इस वाद के विपक्षी सं० 1 के द्वारा विवादित भूखण्ड के बंटवारा को लेकर सब जज–1, पटना के न्यायालय में टाईटिल बंटवारा सूट सं० 1757/2014 दायर किया गया है, जो अभी लंबित है।

(6) टाईटिल सूट सं० 1757/2014 के लंबित रहने की बात अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के संज्ञान में लायी गयी थी, परन्तु उनके द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० $\frac{1287}{4}$ वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जो नियमतः गलत है।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 39/2014–15 में पारित आदेश विधि सम्मत है। पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० $\frac{1287}{4}$ वर्ष 2013–14 में दिनांक 30.07.2014 को पारित आदेश में यह तथ्य अंकित है कि विवादित भूखण्ड को लेकर सब जज–VIII पटना के न्यायालय में टाईटिल बंटवारा सूट सं० 1757/2014 लम्बित है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) में स्पष्ट है कि "होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामले में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बित हो"

अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को इस तथ्य की जानकारी रहते हुए कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बित है, दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, जो नियम के विरूद्ध है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 39/2014–15 मे अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के आदेश को निरस्त किया जाना पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील सं0 39/2014–15 में दिनांक 30.07.2015 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

31/3/16 | 31/3/16
(वजीन उद्दीन अंसारी) | (वजीन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना | अपर समाहर्त्ता,पटना